न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कोर्ट सं०–5, इटावा।

सत्र परीक्षण संख्या–1090/2024

राज्य बनाम राहुल वर्मा आदि।

मुकदमा अपराध संख्या–467/2010
धारा–411,413,414,417,403 भा०दं०सं०।
थाना–कोतवाली, जिला–इटावा।

आरोप

मैं नीरज कुमार गर्ग, अपर सत्र न्यायाधीश, कोर्ट संख्या–5 इटावा आप अभियुक्तगण **राहुल वर्मा व रामवीर** को निम्न आरोप से आरोपित करता हूँ–

प्रथमः– यह कि दिनांक 23.06.2010, समय करीब 19.00 बजे व स्थान पक्का तालाब चौराहे के पास, अन्तर्गत थानाक्षेत्र कोतवाली जिला इटावा पर आप लोगों को उपनिरीक्षक सत्यवीर सिंह व साथीगण पुलिसकर्मी द्वारा गिरफ्तार किया गया तथा आप लोगों से चोरी की मोटरसाइकिल नं. UP 75 E 5230 व अन्य को बरामद किया गया, जिसे आप चोरी का जानते हुए भी अपने पास रखे हुए थे। इस प्रकार आप लोगों ने ऐसा अपराध कारित किया है, जो धारा**–411** भा.दं.संहिता के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है। जो इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

द्वितीयः– यह कि उपरोक्त तिथि, समय व स्थान पर आप लोगों के कब्जे से उपरोक्त चोरी की मोटरसाइकिल को बरामद किया गया, जिसके सम्बंध में आप यह जानते थे कि यह चुराई गयी सम्पत्ति थी, जिसे आप लोगों अभ्यासतः प्राप्त किया। इस प्रकार आप लोगों ने ऐसा अपराध किया है, जो भा०दं०संहिता की **धारा–413** के अन्तर्गत दण्डनीय है और इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

तृतीयः– यह कि उपरोक्त तिथि, समय व स्थान पर आपके कब्जे से उपरोक्त मोटरसाइकिल को बरामद किया गया, जो चोरी की थी तथा आप लोगों ने उक्त मोटरसाइकिल को व्ययनित करने के आशय से इधर–उधर किया। इस प्रकार आप लोगों ने ऐसा अपराध किया है, जो भा०दं०संहिता की **धारा–414** के अन्तर्गत दण्डनीय है और इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

चतुर्थः– यह कि उपरोक्त तिथि, समय व स्थान पर आपके कब्जे से उपरोक्त मोटरसाइकिल को बरामद किया गया, जो चोरी की थी तथा आप लोगों ने उक्त मोटरसाइकिल की नम्बर प्लेट छल करने के आशय से बदलकर, फर्जी नम्बर प्लेट लगा दी। इस प्रकार आप लोगों ने ऐसा अपराध किया है, जो भा०दं०संहिता की **धारा–417** के अन्तर्गत दण्डनीय है और इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

पंचमः– यह कि उपरोक्त तिथि, समय व स्थान पर आपके कब्जे से उपरोक्त मोटरसाइकिल को बरामद किया गया, जो चोरी की थी तथा आप लोगों ने बेईमानी से दुर्विनियोग करने के आशय से उक्त मोटरसाइकिल की नम्बर प्लेट को बदलकर, फर्जी नम्बर प्लेट लगाकर अपने उपयोग हेतु संपरिवर्तित कर लिया। इस प्रकार आप लोगों ने ऐसा अपराध किया है, जो भा०दं०संहिता की **धारा–403** के अन्तर्गत दण्डनीय है और इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

एतदद्वारा आप अभियुक्तगण को निर्देशित किया जाता है कि आप अभियुक्तगण का परीक्षण इस न्यायालय द्वारा किया जाय।

(नीरज कुमार गर्ग)
दिनांक–12.11.2024 अपर जनपद एवं सत्र न्यायाधीश,
कोर्ट सं०–5, इटावा।

आरोप अभियुक्तगण को पढ़कर सुनाये व समझाये गये, जिससे उन्होंने इंकार किया एवं परीक्षण की मांग की।

(नीरज कुमार गर्ग)
दिनांक–12.11.2024 अपर जनपद एवं सत्र न्यायाधीश,
कोर्ट सं०–5, इटावा।

न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कोर्ट सं०–5, इटावा।

सत्र परीक्षण संख्या–1090/2024

राज्य बनाम राहुल वर्मा आदि।

मुकदमा अपराध संख्या–467/2010
धारा–411, 413, 414, 417, 403 भा०दं०सं०।
थाना–कोतवाली, जिला–इटावा।

–आदेश–

विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) ने राज्य की ओर से अभियोजनपक्ष के मामले का वर्णन किया और अभियुक्तगण के विरुद्ध लगाये गये आरोप का विचारण देते हुए यह बताया कि वह अभियुक्तगण के दोष को किस साक्ष्य द्वारा सिद्ध करने की प्रस्थापना करते है।

मैंने अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता को भी आरोप के प्रश्न पर सुना तथा अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य तथा परिस्थितियों का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। ऐसी उपधारणा करने का उचित आधार है अभियुक्तगण **राहुल वर्मा व रामवीर** ने धारा–411, 413, 414, 417, 403 भा०दं०सं० के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध कारित किया है, जो इस न्यायालय द्वारा विचारणीय है। अतः अभियुक्तगण के विरुद्ध आरोप विरचित किये जाये।

(नीरज कुमार गर्ग)
दिनांक–12.11.2024 अपर जनपद एवं सत्र न्यायाधीश,
कोर्ट सं०–5, इटावा।

आरोप अभियुक्तगण को पढकर सुनाये व समझाये गये, जिससे उन्होंने इन्कार किया और विचारण की मांग की। अतः अभियोजन साक्ष्य हेतु पत्रावली दिनांक 21.11.2024 को प्रस्तुत हो। समस्त गवाहान तलब हो।

(नीरज कुमार गर्ग)
दिनांक–12.11.2024 अपर जनपद एवं सत्र न्यायाधीश,
कोर्ट सं०–5, इटावा।